कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र की कृषि योग्य भूमि जिला कुरुक्षेत्र के गांव लुखी फार्म , सीवरेज फार्म व जिला कैथल के गांव पीडल, सुल्तानिया प्लाट, भूना, अरनौली, अगौंध, दाबा, ककेड़ी, खुशहाल माजरा, टटीयाना-2 और चक्कू लदाना में कृषि कार्यो के लिए एक वर्ष (2023-24) के लिए ठेके पर दी जाएगी। जिसकी बोली खुलेआम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडीटोरियम के क्रश हॉल में दिनांक 02-05-2023 से 09-05-2023 तक होगी व बोली के समय सभी बोली दाताओ को कोरोना (कोविड-19) से सम्बंधित केंद्र व राज्य सरकार की हिदायतों का पालन करना होगा। लुखी फार्म की भूमि लगभग 105 एकड़ है बाकी उपरोक्त सभी गांव की भूमि लगभग 21 से 26 एकड़ प्रत्येक गांव में है। बोली के नियम, शर्ते व कार्यक्रम, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट: www.kuk.ac.in पर उपलब्ध है। बोली से सम्बंधित जानकारी भूमि एवं कृषि विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से भी प्राप्त की जा सकती है।

06/04/23

प्रौफ़ेसर इन्चार्ज
(भूमि एवं कृषि विभाग)
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय,कुरुक्षेत्र

दूरभाष न0. 98134-24742

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र

नीलामी सूचना

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र तहसील थानेसर (कुरुक्षेत्र) व तहसील गुहला (कैथल) के भिन्न-भिन्न गांवों की जमीन की बोली विश्वविद्यालय परिसर में ओडिटोरियम के क्रश हाल (Crush Hall) में खुलेआम निम्नलिखित क्रमानुसार काश्त के लिए बतौर लाइसैंस पर दी जाएगी।

क्रम. सं०	स्थान / गांव का नाम	रकबा		बोली की तिथि	समय
		कनाल	मरला		
1.	लुखी फार्म	838	12	02-05-2023	प्रात: 10 बजे
2.	भुना	198	13	02-05-2023	दोपहर 2 बजे
3.	खुशहाल माजरा	201	18	03-05-2023	प्रात: 10 बजे
4.	अगौंध	215	18	03-05-2023	दोपहर 2 बजे
5.	अरनौली	198	04	04-05-2023	प्रात: 10 बजे
6.	सुल्तानिया प्लाट	202	01	04-05-2023	दोपहर 2 बजे
7.	दाबा	206	06	05-05-2023	प्रात: 10 बजे
8.	टटीयाना भाग – 2	38	02	05-05-2023	दोपहर 2 बजे
9.	सीवरेज फार्म	164	00	08-05-2023	प्रात: 10 बजे
10.	पीडल	205	01	08-05-2023	दोपहर 2 बजे
11.	चक्कू लदाना	199	17	09-05-2023	प्रात: 10 बजे
12.	ककेडी	202	19	09-05-2023	दोपहर 02 बजे

बोली की शर्ते :

1. सभी बोली दाताओं को सूचित किया जाता है कि बोली के समय कोरोना (COVID-19) से सम्बंधित केंद्र व राज्य सरकार की हिदायतों का पालन करना होगा।
2. बोली के समय पर केवल बोली दाता को ही प्रवेश दिया जाएगा।
3. भूमि एक साल के लिए बतौर लाइसैंस पर दी जा रही है। एक साल के लिए लाइसैंस की पूरी रकम बोली की समाप्ति पर पैशगी जमा करवानी होगी।
4. भारत सरकार के नियमानुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था 2,00,000/- रूपये से अधिक नगद का लेन-देन नही कर सकता। इसलिए सफल बोली दाता को पूरी रकम RTGS के रूप में कुलपति महोदय के खाता न0 10139650221 बैंक का कोड IFSC- SBIN0001600 भारतीय स्टेट बैंक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उसी दिन जमा करवानी होगी।
5. बोली की रकम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के खाते में आने के बाद ही सफल बोली दाता कृषि योग्य भूमि को लाइसैंस पर लेने का हकदार होगा।
6. सबसे अधिक बोली देने वाले व्यक्ति को विश्वविद्यालय की भूमि दूसरे व्यक्ति को देने का हक नहीं होगा।
7. लाइसैंस का समय 15-05-2023 से 14-05-2024 तक होगा। लाइसैंसदार को भूमि एक साल के समय की समाप्ति पर खाली करनी होगी और लाइसैंस की समाप्ति के आखिरी दिन के बाद यानि 14-05-2024 को विश्वविद्यालय का कब्जा होगा। इसके बाद यदि भूमि में कोई भी फसल खडी होगी अथवा खेती के औजार मशीन आदि लगी रह जाएगी तो उस पर विश्वविद्यालय का अधिकार होगा तथा लाइसैंसदार को कोई हक नही होगा कि वह अपने सामान को उठा सके।
8. लाइसैंसदार को भूमि में से मिट्टी उठाने की इजाज़त नही होगी।
9. भूमि पर किसी किस्म के नाजायज कब्जे की जिम्मेदारी लाइसैंसदार की होगी।
10. लाइसैंसदार को अपने खर्चे पर पानी की नालियाँ आदि बनानी होगी।
11. लाइसैंसदार केवल कृषि कार्यो के लिए ही भूमि का इस्तेमाल कर सकेगा।
12. लाइसैंसदार को बोली का शर्तनामा लिखवाने के लिए 200/- का स्टाम्प पेपर दफ्तर में देना होगा।
13. ऐसे व्यक्ति को बोली देने का अधिकार नही होगा, जिसनें अभी तक पिछला बकाया रुपया नही दिया है। यदि वह मौके पर पिछला रुपया जमा करा दे तो उसे बोली देने का अधिकार दिया जाएगा।
14. जिन गांवों में विश्वविद्यालय ने ट्यूबवैलो पर बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है लाईसैंसदार को बिजली का वर्षभर का खर्च फ्लैट रेट/बिजली विभाग की दरोनुसार अग्रिम जमा करना होगा।
15. यदि किसी लाईसैंसदार ने अपनी मर्जी से कोई भी ट्यूबवैल लाईसैंस के समय में लगवाया तो उसका खर्चा विश्वविद्यालय वहन नही करेगा।

16. जिस गांव में बिजली द्वारा संचालित ट्यूबवैल लगवाये गये है उसके रख-रखाव की जिम्मेदारी लाईसैंसदार की होगी और वह ट्यूबवैल तथा उससे सम्बंधित मशीनरी इत्यादि ठेके की समाप्ति पर चालू-हालत में देगा। लाईसैंसदार को ट्यूबवैल चलती हालत में लेते समय रुपयें 25,000/- व जिस गांव में दो ट्यूबवैल है उसके 50,000/- की धरोहर राशी नकद भूमि एवं कृषि विभाग में जमा करानी होगी। ठेके की समाप्ति पर चलती हालत में ट्यूबवैल देने पर धरोहर राशी वापिस कर दी जाएगी।

17. लाईसैंसदार को बिजली का बिल बिजली विभाग में जमा करना होगा और रसीद भूमि एवं कृषि विभाग को दिखानी होगी व ट्रांसफोर्मर को लाईसैंस समय में कोई भी किसी किस्म का नुकशान होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी खुद/स्वयं लाईसैंस धारक की होगी।

18. लुखी फार्म पर पांच ट्यूबवैल चलती हालत में है तथा बिजली का कनेक्शन है। लुखी फार्म पर एक गैरेज तथा 2 कमरे है और फार्म यार्ड (खलियान) की भूमि पर कृषि कार्य नही किया जाएगा। तथा वहां पर लगे पेड़-पोधे सुरक्षित रखने होगे। ट्यूबवैल तथा मकान आदि जिस हालत में है उसी हालत में यानि चलते तथा दरुस्त हालत में देने होगें। ट्यूबवैल तथा भवनों आदि की Security (1,25,000/-) एक लाख पच्चीस हजार रूपये अग्रिम जमा करवानी होगी जो बाद में ठेका समाप्ति पर वापिस कर दी जाएगी। फार्म पर लगे पेड़ आदि जितनी संख्या में है और जिस हालत में हैं उसी अवस्था में वापिस करने होगे।

19. बोली सुरु होने के बाद कोई भी बोलीदाता कमरे से बाहर नही जाएगा। जब तक बोली समाप्त नही हो जाएगी। अगर कोई बोलीदाता बाहर जाएगा तो उसको बोली देने का अधिकार नही होगा।

20. अगर कोई बोलीदाता बोली के समय में एक दूसरे से झगड़ा या मारपीट, गाली-गलोच आदि करेगा तो उसकी सिक्यौरिटी जपत कर ली जाएगी और उसको बोली से बाहर कर दिया जाएगा ऐसे बोलीदाता को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है और उसके विरुद्ध क़ानूनी कारवाई भी की जा सकती है।

21. किसी भी बोलीदाता या अन्य को बोली के समय में किसी भी तरह का हथियार लाने का अधिकार नही होगा अगर किसी के पास हथियार होगा तो उसको बोली से पहले KUK थाने में जमा करवाना होगा।

22. किसी भी लाइसैंसी को ट्यूबवैल के बोर में वर्षा का पानी या अन्य पानी उतारने का हक नही होगा अगर ऐसा किया तो ट्यूबवैल का पूरा खर्चा लाइसैंसी को देना होगा अन्यथा उसके खिलाफ क़ानूनी कारवाई की जाएगी।

23. अगर लाइसैंसी के समय में ट्रांसफोर्मर या अन्य कोई सामान चोरी होता है तो उसका खुद लाइसैंसी जिम्मेवार होगा।

24. कोई भी लाइसैंसी अपनी फसल के अवशेषों (फणे ठूठ आदि) को नहीं जलायेगा। क्योंकि यह कानूनी अपराध है अगर कोई लाइसैंसी दोषी पाया जाता है या उस पर कोई कानूनी कार्यवाही होती है तो वह लाइसैंसी स्वयं जिम्मेदार होगा।

25. यदि अन्य कोई शर्त होगी तो वह बोली के समय सुना दी जाएगी।

26. माननीय कुलपति महोदय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र को पूर्ण अधिकार होगा कि वह किन्ही कारणों से अत्याधिक बोली को भी रद्द कर सकते है।

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें।
श्री सुखबीर सिंह (फार्म सुपरवाइजर) 09813424742

06/04/23

प्रौफ़ेसर इन्चार्ज
(भूमि एवं कृषि विभाग)

पु.क्र.:कृ0&भू0/2023/नीलामी/ 161-660 **दिनांक** 06/04/2023

प्रतिलिपि प्रेषित :

1 डिप्टी कमिशनर व पुलिस अधिक्षक, कुरुक्षेत्र, कैथल।
2 एस. डी. एम., डी.एस.पी.; तहसीलदार, बी.डी.ओ. तथा सचिव नगरपालिका, थानेसर, गुल्हा।
3 उपरोक्त भूमि से सम्बंधित पटवारी, सरपंच, नम्बरदार, चौकीदार तथा पिछले काश्तकार गांव के सरपंच तक प्रार्थना की जाती है कि वे अपने गांव में मुनादी करवाकर सभी को सुचना दें देवे। इसकी फ़ीस चौकीदार को बोली के समय मौके पर दे दी जाएगी ताकि बोली में ज्यादा से ज्यादा बोलीदाता पहुच सके।
4 एक प्रति निजि सचिव कुलपति महोदय को जानकारी हेतु प्रस्तुत है।
5 एक प्रति अधिक्षक दफ्तर कुल सचिव, कुल सचिव महोदय को जानकारी हेतु प्रस्तुत है।

प्रौफ़ेसर इन्चार्ज
(भूमि एवं कृषि विभाग)